पी.एच.डी शोध कार्य के लिए प्रस्तुत शोध प्रारूप

ग्रामीण अर्थव्यवस्था में मनरेगा की भूमिका : जयपुर व जोधपुर के विशेष संदर्भ में एक मूल्यांकन

''बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ''
Estd. 2008

शोध निर्देशक
ड़ॉ.मो.मेराज आलम
सहायक प्रोफेसर

ज्योति विधापीठ महिला
विश्वविद्यालय,जयपुर

शोधार्थी
सेजल सोनी

अर्थशास्त्र विभाग

ज्योति विद्यापीठ महिला विश्वविद्यालय,जयपुर

ग्रामीण अर्थव्यवस्था में मनरेगा की भूमिका : जयपुर व जोधपुर के विशेष संदर्भ में एक मूल्यांकन

यह ऐतिहासिक सत्य है कि शहरीकरण की व्यापक प्रक्रिया ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था के प्रति उदासिनता पैदा की है शहर न केवल उत्पादन, वितरण और प्रबन्धन के केन्द्र बने गये अपितु सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था की दिशा भी तय कर रहें है। सम्पूर्ण आर्थिक व्यसस्था में ग्रामिण क्षेत्र विगत कई दशक से महज कच्चे माल के स्त्रोत बन कर रह गया है। परम्परागत ग्रामिण अर्थव्यवस्था जो कि कृषि हस्तशिल्प, लधु–कुटिर उद्योगों पर निर्भर थी वे औद्योगिकरण शहरीकरण तथा वैश्वीकरण के आगमन के साथ समाप्त सी हो गई है।

प्रारंम्भिक काल से ही भारतीय अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है देश की 70 प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर आश्रित है। कृषि से राष्ट्रीय आय का 30 से 35 प्रतिशत भाग प्राप्त होता है।[1] भारत का प्रधान व्यवसाय कृषि होने के कारण भारत जैसे विकासशील देश की राष्ट्रीय आय का सबसे बड़ा स्त्रोत रोजगार और जीवन यापन का प्रमुख साधन औद्योगिक विकास वाणिज्य एवं विदेशी व्यापार का आधार है, यह भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ और विकास की कुंजी है।[2] भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था का आधार कृषि नवीन तकनीकों के प्रयोग के पश्चात भी संकट का सामना कर रही है। हमारें देश के अधिकांश लोग (लगभग 39. 4 प्रतिशत) आजिविका के लिए अभी भी कृषि पर निर्भर है, तथा कृषि

मजदुरी पर 24.9 प्रतिशत लोग निर्भर है। कुल मिलाकर लगभग 64.3 प्रतिशत लोग कृषि पर निर्भर है।

हमारे देश में गरीबी और बेरोजगारी का आकलन समय–समय पर किया जाता है तथा गरीबी और बरोजगारी दूर करने के लिए समय–समय पर अनेक उपाय भी किये जाते रहें है। वर्ष 1973 में श्री बी भगवती की अध्यक्षता में बेरोजगारी का अनुमान लगाने के लिए एक समिति का निर्माण किया गया। इस समिति की रिर्पोट के अनुसार वर्ष 1971 में बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या 1.87 करोड़ थी जिसमें जिसमें से 90 लाख व्यक्ति ऐसे थे जिनके पास कोई रोजगार नहीं था और 97 लाख व्यक्ति ऐसे थे जिनके पास 14 प्रति धण्टे प्रति सप्ताह का कार्य उपलब्ध था। गरीबी और बेरोजगारी की व्यापक्ता को देखते हुए श्रीमती ईन्दरा गांधी ने नीति निर्माताओं के विचारों के साथ–साथ कार्ये में क्रान्ति लाने पर बल दिया और कहाँ कि ''पिछले 25 वर्षो का अनुभव यह बताता है कि परिवर्तन आना जरूरी है। यदी यह परिवर्तन धीरे–धीरे आता है और इसमें समय लगता है तो इस देरी को समाज का कमजोर वर्ग सहन नहीं कर पायेगा। अतः हमारें विचारों और कार्यो में क्रान्ति आनी चाहिए।[3] निर्धनता को समाप्त करने के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के साथ–साथ छोटे और सीमांत किसानों संसाधनों की उपलब्धता पर भी बल दिया। रोजगार के अवसरो को इस प्रकार बढाने पर बल दिया जिससे कि वे भावी विकास का आधार बन सके । बढती हुई बेरोजगारी और निर्धनता की व्यापक्ता ने निति निर्माताओं को गरीबी उन्मूलन और रोजगार सृर्जन कार्यक्रमों की रणनीतियों पर पुनः विचार करने के लिए

विवश कर दिया। निर्धनता और बेरोजगारी की समस्या गाँव की है । इस तथ्य को योजनाकारों ने स्वीकार किया और नगरों की निर्धनता के संदर्भ में योजनाकारों ने कहाँ नगरों में निर्धनता की समस्या गाँव की निर्धनता का ही एक हिस्सा है। गाँव में निर्धनता की समस्या का समाधान हो जाने पर नगरों में यह समस्या स्वतः ही नियंत्रण में आ जाएगी और बडे पैमाने पर रोजगार के अवसरों की व्यवस्था के साथ न्यूनतम आवश्यकता को पूरा करने वाले कार्यक्रम को लागू करने पर बल दिया।[4]

गरीबी व बेरोंजगारी का सबसे अधिक असर ग्रामीण क्षेत्रों में देखने को मिलता है। जिसका कारण आय स्त्रोत का नहीं होना है, जिससे उनका जीवन स्तर निम्न से निम्न हो जाता है। वे अपने भोजन तथा स्वास्थ में गिरावट महसुस करते है। ग्रामिण क्षेत्रों में 15 प्रतिशत जनसंख्या का औसत मासिक व्यय 356 रू है अर्थात 11.87 रू प्रतिदिन है, जो कि निर्धारित सीमा से काफी कम है। गरीबी और बेरोंजगारी का सीधा प्रभाव अर्थव्यवस्था पर पडता है क्योंकि श्रम शक्ति बेकार और अउत्पादक हो जाती है। ग्रामीण बेरोंजगारी का सीधा प्रभाव ग्रामीण महिलाओं पर पड़ता है। भारत में महिला श्रमिकों की संख्या (2001 की जनगणना) 25.6 प्रतिशत थी। ग्रामिण क्षेत्रो में यह प्रतिशत 87.0 है। जिस में से सभी महिलाये खेतीहार मजदुर है।

हमारी पंचवर्षीय योजनाओं में इसे संदर्भ में समय–समय पर अनेक उपाय किये गये है, किन्तु उनका सकारात्मक प्रभाव दिखायी नहीं दिया जितना अपेक्षीत किया गया था, किन्तु यह अवश्य है कि इन योजनाओं

का आकलंन करने पर यह देखा गया है कि ग्रामिण–शहरी बेरोजगारी में कमी अवश्य आई है।

पंचवर्षीय योंजना में गरीबी दूर करने के उद्देश्य से निर्धन वर्ग की आय में वृद्वि करने की बात को स्वीकार किया गया ,और बड़े पैमाने पर रोजगार की व्यवस्था के साथ न्यूनतम आवश्यकता पूरी करने वाले कार्यक्रम लागू करने पर बल दिया गया। आर्थिक आयोजनों का उद्देश्य बेरोजगारी के स्तर में कमी लाना था। योजना की परिकल्पना यह थी कि अर्थव्यवस्था में जो विकास होगा उसके परिणाम स्वरूप उत्पादन बढेगा साथ ही बेरोजगारी व अर्द्ध बरोजगारी में भी कमी आएगी। इसी उद्दश्य से सरकार ने 2004 में अर्थशास्त्रीयों से विचार विर्मश करके रोजगार गारंटी कार्यक्रम का सूत्रपात किया। सितंबर 2005 को भारत सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गांरटी अधिनियम पारित किया गया। इस योजना को 02 फरवरी 2006 में राष्ट्रीय ग्रांमीण रोजगार गारण्टी योजना (नरेगा) के नाम से 200 जिलों में प्रारभ किया गया सर्वप्रथम इस योजना का आरंभ आंध्रप्रदेश के अनंतपुर जिले के बदलापल्ली गांव से हुआ। यह वही गाँव है जहां ऋणों के बोझ से हजारों किसानों ने निराशपूर्ण जीवन से मुक्ति पाने के लिए आत्महत्याये की थी।[5]किसानों बेराजगारों और गरीबी के जीवन की इसी विडम्बना को समझते हुए तथा जीवन को आशापूर्ण बनाने के लिए केन्द्र सरकार ने इस महत्वपूर्ण योजना के क्रियान्वयन का संकल्प लिया। अपने कियान्वयन के प्रथम चरण में यह योजना देश के 200 जिलों में शुरू की गई।[6]

पहले चरण मे शामिल राज्यों के 200 जिले (2006–07) इस प्रकार है–

आन्ध्र प्रदेश–13, अरूणाचल प्रदेश–1, असम–23, छत्तीसगढ – 11, झारखण्ड–20, गुजरात– 6, कर्नाटक–5, केरल–2, उत्तरप्रदेश–23, हरियाणा–2, हिमाचल प्रदेश –2, महाराष्ट– 12, मणिपुर– 1, मेघालय–2, मिजोरम–2,नागालैण्ड–1, उडीसा–18, पंजाब–1, सिक्किम–1, तमिनाडु –6, त्रिपुरा–1, जम्मू–कश्मीर–3, उत्तरांचल–3, पश्चिम बंगाल–10, राजस्थान–6 तथा मध्यप्रदेश के 18 जिले सम्मिलित किये गये।[7]

मनरेगा की सफलता को देखते हुए 01 अप्रैल 2008 से इसे सम्पूर्ण देश में लागू कर दिया गया। इस योजना में शासन द्वारा पूर्व में चलाई जा रही दो योजनाएं 'सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना' और 'काम के बदले अनाज योजना' को इसमें शामिल कर ली गयी। इस योजना मे प्रत्येक वित्तीय वर्ष में सरकार द्वारा 100 दिन के रोजगार देने का प्रावधान किया गया है।[8] अक्टूबर 2009 मे इस योजना का नाम महात्मा गॉधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना (मनरेगा) कर दिया गया।[9]

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टीय योजना आज विश्व में ग्रामीण विकास का पर्याय बन चुकी है अनेक आर्थिक समीक्षकों का विचार था कि इस योजना में किया गया हजारों करोड़ो का व्यय **'अनुत्पादक'** है किन्तु विश्लेषणात्मक रूप यह तथ्य सामने आया है कि यह व्यय उत्पादक है। इस योजना में सीमातं कृष्क, सीमांत ग्रामीण मजदुर की उत्पादकता सामने आयी है, तथा 'ग्रामीण श्रम' का उपयोग ग्रामीण विकास में, कृषि उत्पादन में तथा ग्रामीण अधोसरचंना के विकास में किया जा रहा है। ग्रामीण श्रमिकों को परिश्रमिक दिया जाता है उसे वे खाद पदार्थ तथा गैर खाद पदार्थ वस्तुओं में व्यय करतें है, जिससे बजार

व्यवस्था कों बल मिलता है और वस्तुओं की मांग बढती है मांग बढने से वो पैसा कर के रूप में (उत्पादन शुल्क के रूप में) बापस सरकार के पास पँहुच जाता है। इस योजना से समाजिक न्याय और सामाजिक मूल्यों को बल मिला है, तथा ग्रामीणो के जीवन स्तर में वृद्वि हुई है।

महात्मा गाँधी राष्ट्रीय रोजगार गारण्टी योजना –

सरकार के द्वारा सितम्बर 2005 में राष्ट्रीय रोजगार गांरटी अधिनियम पारित किया गया। इस अधिनियम के माध्यम से प्रत्येक वर्ष ग्रामीण परिवारो को एक वर्ष की अवधि में 100 दिन का अकुशल शारीरिक श्रम के अवसर उपलब्ध कराने की गारण्टी प्रदान की गई । तत्पश्चात सरकार के द्वारा इस संदर्भ में मार्ग निर्देशिका प्रदान की गई। इस योजना के अर्न्तगत ग्रामीण इलाको में बुनियादी रूप से आर्थिक–सामाजिक ढांचा विकसित किया जायगा, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नियमित अवसर प्राप्त हो सकेगें । साथ ही ग्रामीण लोगों में पलायन की समस्या का भी समाधान हो सकेगा। यह योजना इतिहास में अपना एक अलग महत्व रखती है। क्योंकि पूर्व की सभी योजनाएं रोजगार के संदर्भ में श्रमिको को किसी प्रकार का कानूनी अधिकार प्रदान नहीं करती किन्तु इस योजना में रोजगार को सुनिशिचित किये जाने का दायित्व न्यायिक रूप से प्रदान किया गया है।

राजस्थान सरकार ने भी ग्रामीण क्षेत्र में आर्थिक स्तर को संबलता प्रदान करने हेतु महात्मा गांधी रोजगार योजना का प्रारम्भ राजस्थान में 2 फरवरी 2006 से तीन चरणो में लागू कर दिया। प्रथम चरण में बासवाडा, डूगरपुर, करौली, सिरोही ,झालावाडा एवं उदयपुर में शुरू की

गई, द्वितीय चरण 1–.04–.2007 से यह योजना राज्य के 6 अन्य जिलो यथा बाडमेंर, चितोड़ जैसलमेंर, टोक, जालोर एवं सवाईमाधोपुर में प्रारभं की गई। तृतीय चरण में यह योजना राज्य के शेष सभी जिलों में 1 अप्रैल 2008 से सभी जिलों में लागू कर दी गई। इस योजना का सबसे बड़ा महत्व इस संदर्भ में है कि इस योजना ने जहॉ ग्रामीण क्षेत्र में बेरोजगारी की समस्या को एक हद तक दूर करने में सफलता प्राप्त की है वही गांव में जिन लोगो के पास बहुत कम खेत है वे खेती कर रहे है तथा अर्द्व बेरोजगारी की अवस्था में है वे भी इस योजना में काम भी कर रहे है ऐसे में उन्हे ंकाम की तलाश में इधर उधर भटकना नहीं पडता है इस योजना में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों ने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गांरटी कानून के तहत रोजगार मिलने वाले अवसरो का लाभ उठाया है अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय रोजगार गांरटी कानून ज्यादा महत्वपूर्ण है।[10]

संबधित साहित्य का अध्ययन –

शोधकर्ता का उचित मार्गदर्शन उसके विषय से सबंधित साहित्य ही कर सकता है और वही शोध में उसके आगे का मार्गदशर्न देने में सक्षम हो सकता है क्योंकि विषय का विश्लेषणात्मक अध्ययन सवंधित साहित्य की पुस्तकें ही दे सकती है साथ हीय यह भी शाश्वत सत्य है कि पुस्तकें ही मनुष्य की सबसे बड़ी मित्र है। विषय की गहराई तक पहुॅचने के लिए शोधकर्ता ने संबधित साहित्य का गहन अध्ययन किया है। अध्ययन के पश्चात् ही गहन चिंतन कर विषय से सबंधित साहित्य के निष्कर्ष को

समझा एवं अपने विषय से सबंधित लेखन एवं आकंलन का प्रारूप तैयार किया।

Kannapioram (1992)[11] द्वारा ग्रामीण गरीबी उन्मुलन योजना का ग्रामीण निर्धनता पर पडने़ वाले प्रभाव का अध्ययन किया। अध्ययन से प्राप्त परिणामों के अनुसार ग्रामीण गरीबी उन्मलून योजना में सतत रोजगार के कारण ग्रामीणों की आर्थिक स्थिति में साथर्क सुधार आया।

JaswalAnshuman(2003) [12] द्वारा महात्मा गॉधी राष्ट्रीय ग्रामीण राजे गार गांरटी योजना में किये जाने वाले दैनिक भुगतान के बारे में लाभार्थियों की जानकारी का अध्ययन किया। यह अध्ययन दिशा, अहमदाबाद में किया गया था । अध्ययन से यह ज्ञात हुआ कि लाभार्थियों के जॉब कार्ड प्रायः सरपंच द्वारा अपने पास रख लिये जाते है जिससे लाभार्थियों को कार्य के बदले मिलने वाले भुगतान की जानकारी नही ं होती है एवं समान कार्य के लिए अलग–अलग गॉवों में भुगतान भिन्न–भिन्न दर से किया जाता है ।

Dreze (2006) [13] द्वारा महात्मा गॉधी राष्ट्रीय ग्रामीण राजे गार गारंटी योजना के तहत कार्यरत महिलाओं की समस्याओं के सदंर्भ में एक अध्ययन किया। अध्ययन से यह ज्ञात हुआ कि राजस्थान में महात्मा गॉधी राष्ट्रीय ग्रामीण राजे गार गारंटी योजना में चलाये जा रहे कार्यो में कार्यस्थल पर महिलाओं के लिये अनुकुल सुविधाएॅ मौजदू नहीं है तथा कार्यस्थल पर उचित मेडिकल एवं कार्यरत महिलाओं के बच्चों के लिए कोई सुविधाएॅ नही ं है। अधिकाशं स्थानों पर योजना में कार्यरत

महिलाओं को अपने बच्चों को धूप में ही रखना पड़ता है या फिर उन्हे घर पर ही छोडकर आना पड़ता है जिससे उनकी पारिवारिक समस्याओं में वृद्वि होती है।

CAG(2007)[14] ने महात्मा गॉधी राष्ट्रीय ग्रामीण राजेगार गांरटी योजना पर किये अध्ययन में यह पाया कि मनरेगा के क्रियान्वयन हेतु प्रशासनिक एवं तकनीकी कर्मचारियों की अत्यंत कमी है तथा इस कमी को तुरंत दूर किया जाना चाहिए जिससे मरनेगा का सही क्रियान्वयन हो सके अध्ययन में यह भी पाया गया कि पंजीकृत परिवारों में से केवल 3.2 प्रतिशत परिवारों को ही 100 दिन तक रोजगार उपलब्ध कराया गया। रिपार्टे में यह भी उल्लेख किया गया है कि बेरोजगारी भत्ता देने में राज्य सरकार की कार्यप्रणाली त्रुटिपूर्ण है।

Anand(2008)[15]ने महात्मा गॉधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना पर किये अध्ययन में पाया कि याजे ना के क्रियान्वयन में कई त्रुटियॉ थी ˙ जिनमें मुख्य रूप से कार्यरत महिलाओं के बच्चों के लिये कार्यस्थल पर किसी प्रकार की सुविधा उपलब्ध न हानेा मुख्य था।

Garg(2008)[16] ने महात्मा गॉधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का कार्यरत महिलाओं की आर्थिक स्थिति का उनकी आर्थिक स्थिति पर पडने़ वाले प्रभाव का अध्ययन किया। अध्ययन से ज्ञात हुआ कि ने महात्मा गॉधी राष्ट्रीय ग्रामीण राजे गार गारंटी योजना में कार्य करने से उन्हें पारिवारिक समस्याओं का ज्यादा सामना करना पड़ा किन्तु उनकी आर्थिक स्थिति में सार्थक बदलाव हुआ।

Prasad, M.R.(2008)[17] ने महात्मा गॉधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना की गॉवों से पलायन करने की प्रवृति पर प्रभाव का अध्ययन किया। अध्ययन स` प्राप्त परिणामों के अनुसार महात्मा गॉधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना द्वारा सार्थक स्तर पर पलायन को रोकने में मदद मिली है। अध्ययन से यह भी ज्ञात हुआ कि महात्मा गॉधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का लाभ लाभार्थियों की आय पर साथर्क रूप से दृष्टिगोचर हुआ। नकारात्मक पहलू के रूप में यह तथ्य भी सामने आया कि कई जॉब कार्डधारियों को 15 दिनों तक कोई रोजगार प्राप्त नहीं हुआ और न ही उन्हें कोइ बेरोजगारी भत्ता ही प्राप्त हुआ।

Vesha joshi and singh (2008)[18] ने राजस्थान महात्मा गॉधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के सदंर्भ में अध्ययन किया। अध्ययन से प्राप्त परिणामों के अनुसार महात्मा गॉधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के प्रारभं होने के पश्चात् पलायन की प्रवृति में कुछ कमी जरूर आयी किन्तु इसे पूरी तरह रोका नहीं जा सका। अध्ययन से यह तथ्य भी सामने आया कि मरनेगा के क्रियान्वयन के पश्चात् हितार्थियों की आय में बढ़ोतरी हुई तथा ग्रामीण द्वारा साहूकारों से लिये जा रहें कर्ज में भी कमी आयी है।

Ambasta (2008)[19] ने महात्मा गॉधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के क्रियान्वयन हेतु उपलब्ध सरकारी कर्मचारीयों के सम्बन्ध में एक अध्ययन किया। अध्ययन से प्रााप्त परिणामों के अनुसार महात्मा गॉधी

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के कार्यान्वयन में कर्मचारियों की कमी एक प्रमुख समस्या है तथा मनरेगा के सशक्त कियान्वयन हेतु जिला, तहसील व ग्रामीण स्तर पर कर्मचारियों की नियुक्ति की जानी चाहिए।

CSE (2008)[20] ने मनरेगा के कियान्वयन में चुनौतियॉ एव ं अवसर पर एक अध्ययन किया। अध्ययन में यह ज्ञात हुआ कि मनरेगा रोजगार के अवसरों को उत्पन्न करने में उतना प्रभावशाली नहीं हुआ है जितनी कि महात्मा गॉधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत अपेक्षा थी। अध्ययन से यह भी पाया गया कि मनरेगा में लाभार्थी द्वारा आर्थिक दोहन किया जा रहा है न कि एक ऐसी आर्थिक कांति जिसमें श्रमिकों की अधिकता से उत्पादन एवं कार्य क्षमता में वृद्वि हो रही हो अध्ययन में यह तथ्य भी सामने आया कि स्थानीय नौकरशाही मनरेगा के कियान्वयन में बाधक तत्व है जिससे इस योजना का सीधा लाभ गरीबों तक नहीं पहुचं पा रहा है।

Siddhanta,P.(2008)[21]ने अपने लेख में मनरेगा पर योजना आयागे की रिपार्टे का विश्लेषण किया। इसके अनुसार केवल 14 प्रतिशत परिवारों को योजना के अंतर्गत 100 दिन रोजगार प्रदान किया जा सका। रिपोर्ट के अनुसार गुजरात और केरल ने मरनेगा के तहत औसत 22 दिन का रोजगार प्रत्यके पजीकृत परिवार को उपलब्ध कराया वही ं पश्चिम बगांल एवं बिहार में 26 दिन रोजगार उपलब्ध कराया। गुजरात, केरल,

पश्चिम बगांल एवं बिहार देश में मनरेगा के क्रियान्वयन में सबसे पिछड़े हुए थे

Vanik (2008)[22] महात्मा गॉधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजेना पर हजारीबाग(झारखडं) में एक अध्ययन किया। अध्ययन में यह पाया गया कि हितग्राहियों को योजना के अंतर्गत रोजगार के अवसर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं थे, साथ ही भुगतान में भी 40 से 50 दिनों का विलबं होता था जिसकी वजह से हितग्राही महात्मा गॉधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना को छाडे कर जाने हेतु ऐसे स्थानों पर जाने को विवश थे जहॉ कार्य के पश्चात् तुरंत भुगतान की व्यवस्था थी।

Rrrtika khera(2009)[23] महात्मा गॉधी राष्ट्रीय ग्रामीण राजे गार गारंटी योजना के सदर्भ में महिलाओं के विचार जानने के उद्‌दश्ेय से अध्ययन किया। अध्ययन से प्राप्त परिणामों के अनुसार महात्मा गॉधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत रोजगार प्राप्त हितग्राहियों में एक तिहाई महिलाऍ केरल, राजस्थान एवं तमिलनाडु राज्य में थी जबकि आसाम, बिहार, पश्चिम बगांल एवं उत्तरप्रदेश में एक तिहाई से कम महिलाऍ मनरेगा के अतंगर्त कार्यरत थी। अध्ययन में चयनित महिला हितग्राहियों में से अधिकाशं का यह विचार था कि मनरेगा में रोजगार प्राप्त होने के पश्चात् उनका परिवार भखुमरी की समस्या से उबर रहा है। उत्तरदाताओं में से 68 प्रतिशत महिलाओं का मानना था मनरेगा का अनके जीवन में अत्यधिक महत्व है।

Chakravarthy(2010)[24] महात्मा गॉधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारटी योजना के क्रियान्वयन में गुजरात में हुई अनियमितता पर विश्लेषण किया। लेख के अनुसार siddhanta,P. (2008) ने अपने लेख में मरनेगा हेतु आबंटित राशि को गुजरात सरकार ने वन विभाग को परिवर्तित कर दिया। रिपार्ट में यह भी उल्लेखित किया गया कि गुजरात में हितग्राहियों को मनरेगा के तहत किये जाने वाले भुगतान में 03 से 06 माह की देरी हुई

Rengaswamy and Sasi kumar (2011)[25] महात्मा गॉधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत हुए कार्यो का राज्यवार तुलनात्मक अध्ययन किया। अध्ययन से प्राप्त परिणामों के अनुसार छत्तीसगढ एव मध्यप्रदेश में मनरेगा के तहत 50 प्रतिशत परिवारों को लाभ मिला जिसका सीधा प्रभाव यहॉ के लाभांवितों की आर्थिक स्थिति पर पड़ा क्योंकि छत्तीसगढ एवं मध्यप्रदेश दोनों ही राज्यों में गरीबी राष्ट्रीय औसत के अधिक है। मनरेगा के तहत आबटित राशि का उपयागे सर्वाधिक मध्यप्रदेश, एवं राजस्थान में किया गया जिसके पश्चात् आबंटित राशि का उपयोग उत्तरप्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बगांल एवं बिहार द्वारा किया गया।

वर्षा जोशी, सुरजीत सिंह तथा के0 एन0 जोशी (2008)[26] ने राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के प्रभावों का मूल्यांकन किया। योजना के क्रियान्वयन का मुल्यांकन करने के लिए प्रदेश के करौली, बासवाडा, जलोर, डुंगरपुर, तथा झालवार का चयन किया गया। योजना

के मूल्याकन में बासवाडा में पाया गया कि जॉब कार्ड प्राप्त करने में श्रमिकों को कोई कठिनाई नही होती है, साथ ही योजना में यदि महिला श्रमिक किसी कारण से काम नही कर सकती तो उसके स्थान पर उसकी पुत्री (जो 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुकी है) योजना में काम करने के लिए जा सकती है। इस अविध में बासवाड़ा में योजना गत प्रपत्रों पर प्रविष्टियों को अंकित करने में अनियमितता पायी गयी। डूगरपुर में पाया गया कि योजना में काम करने के इच्छुक परिवारों को असानी से जॉब कार्ड प्राप्त हो जाता है। समाज के उच्च वर्ग भी योजना में कार्य करते पाये गये। उच्च वर्ग के नरेगा श्रमिकों के जॉब कार्ड में योजनागत प्रविष्टयां गलत अंकित पायी गई। अध्ययन क्षेत्र में यह पाया गया कि जॉब कार्ड, सचिव या मेट के पास ही अधिक समय तक रहते है। अध्ययन क्षेत्र करौली में पाया गया कि नरगेा श्रमिक अपना जॉब कार्ड दूसरे लोगों को किराये पर देते है। इसी अवधि में अध्ययन क्षेत्र में नरेगा श्रमिकों को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। सम्पूर्ण अध्ययन क्षेत्र में योजनागत श्रमिकों के जॉब कार्ड में त्रुटिपूर्ण प्रविष्टयां पाई गईं योजना के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में पंजीकृत महिलाओं तथा गर्भवती महिलाओं को कार्य आवण्टित करने में उनकी क्षमताओं का ध्यान नही रखा जाता था।

टी0 एन0 सीमा, गीता झा और मधु गर्ग (17.मई 2008)[27] द्वारा किया गया अध्ययन, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय और सयुंक्त राष्ट्र विकास सगंठन द्वारा प्रयोजित था। उक्त अध्ययन में देश के चार राज्यों को सम्मिलित किया गया जिनके नाम क्रमशः कर्नाटक, केरल, उत्तर प्रदेश

तथा झारखण्ड है। अध्ययन में पाया गया कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना, ग्रामीण परिवारों को अकाल जैसी परिस्थितियों के समय श्रम पलायन को रोकने में सहायक है साथ ही रोजगार की गारन्टी प्राप्त होने से जीवन निर्वाह और खाद्य सुरक्षा मजबूत हुई है। योजना के संचालन से ग्रामीणों में आपसी ताल–मेल की प्रवृत्ति को भी प्रोत्साहन मिला है साथ ही योजना के संचालन से ग्रामीण परिसम्पित्तियों के निर्माण में भी वृद्धि हुई है।

.एस.पी. सिहं और डी.के सिहं (2018)[28] द्वारा उत्तराखण्ड महात्मा गांधी रोजगार योजना का प्रभावी अध्ययन किया गया । अध्ययन हेतु चमावत टिहरी व हरिद्वार का चयन किया गया। अध्ययन में पाया कि देश की लगभग दो तिहाई जनसंख्या गांव मे निवास करती है। योजना के संचालन से ग्रामीण क्षेत्रो में रहने वाल परिवारों को पर्याप्त मात्रा रोजगार के अवसार प्राप्त हो रहें है। योजना के संचालन से ग्रामीण क्षेत्रों में प्राकृतिक पूंजी निर्माण में उत्साहजनक वृद्वि हुई है। अध्ययन में यह भी पाया कि अध्ययन क्षेत्र में श्रमिकों ओसत वार्षिक आय चयनित क्षेत्र में सबसे अधिक थी.

Honnakeri and Kote (2012)[29] ने महात्मा गॉधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगारगारटी योजना ने गॉव से पलायन की समस्या एव आर्थिक स्थिति पर पडने़ वाले प्रभाव का अध्ययन किया। अध्ययन हेतु गुलबर्गा जिले के दो गॉवों काडेला एव कुसनुरू से आकंड़ो का सकंलन किया गया। अध्ययन से प्राप्त परिणामों के अनुसार मनरेगा के अंतर्गत

रोजी का भुगतान एक सप्ताह के भीतर कर दिया गया एवं इस सबंध में कोई शिकायत दर्ज नहीं हुई अध्ययन में यह पाया गया कि मनरेगा में कार्यरत प्रतिशत लोग मनरेगा के विषय में अनभिज्ञ थे अध्ययन से प्राप्त महत्वपूर्ण परिणाम में यह ज्ञात हुआ कि मनरेगा के प्रारभं हेाने के पश्चात् ग्रामीणों की पलायन की प्रवृति घटी जिसका मख्ुय कारण उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार था।

Badodiya et al.(2011)[30] महात्मा गॉधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारटी याजेना का गरीबी उन्मुलन के सदंर्भ में अध्ययन किया। अध्ययन हेतु ग्वालियर जिले के मोरार ब्लॉक के 110 ग्रामीण लाभार्थी जो कि निम्न सामाजिक आर्थिक स्तर के थे, का चयन किया गया। अध्ययन से प्राप्त परिणामों के मनरगो में कार्य करने से लाभार्थियों की आर्थिक स्थिति में सार्थक सुधार हुआ। अध्ययन से यह भी ज्ञात हुआ कि मनरेगा में कार्य के दौरान अधिकारीयों से सपंर्क में आने से लाभार्थियों का शिक्षा, सामाजिक व्यवहार, लाने सुविधा के बारे में जानकारी में भी सार्थक वृद्घि हुई।

विषय चयन का औचितय तथा अध्ययन के उद्‌देश्य –

किसी भी शोध कार्य में सफलता का सार्थक परिणाम प्राप्त करनें हेतु उस शोध का पूर्ण तथा निर्धारित लक्ष्य का होना अत्यतं आवश्यक है। इस शोध अध्ययन का मूल इस योजना का ग्रामीण लोगो के आर्थिक सामाजिक जीवन स्तर के पहलुओं पर पडने वाले समारात्मक प्रभाव का अध्ययन करना व ग्रामीण अर्थवयस्था में योजना के द्वारा आये प्रभाव का

आकलंन करना है। जैस गरीबी कम करने में योजना का प्रभाव, ग्रामीण जीवन स्तर में परिवर्तन ,बरोजगारी में कमी आदी।

अध्ययन के उद्‌देश्य –

- गरीबी उन्मुलन के राष्ट्रीय अभियान पर मनरेगा के प्रभाव का अध्ययन करना।
- ग्रामीण क्षेत्रो में श्रम शक्ति के .पलायन में कमीं तथा ग्रामिण शक्ति का ग्रामिण विकास कार्यो में उपयोग का अध्ययन।
- गाँव में ''बजार व्यवस्था'' व मांग पूर्ति के प्रभाव का अध्ययन
- जयपुर व जोधपुर में योजन की सफलता हेतु कारको का अध्ययन तथा योजना को प्रभावी ढंग से कार्यन्वीत करने हेतु सुझाव प्रदान करना।
- यह ज्ञात करना कि लाभार्थी परिवारों द्वारा इस योजना के क्रियान्वयन के पश्चात. ऋणगस्ता की क्या स्थिति है।
- इस योजना का न्यायदर्श लाभार्थी परिवारों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में आए परिवर्तन को ज्ञात करना।
- इस योजना का लाभार्थी परिवारों के रहन–सहन के स्तर आय तथा बचत में आए परिवर्तन को ज्ञात करना।
- इस योजना के क्रियान्वयन के पश्चात ग्रामीण अर्थव्यवस्था में (अध्ययन क्षेत्र में) पिछले तीन वर्षो में आये बदलाव का अध्ययन करना।

प्रसतावित शोधकर्ता की परीकल्पना –

प्रथम परिकल्पना –

इस तथ्य का परीक्षण करना कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योंजना से ग्रामीण गरीबी जीवन स्तर में सुधार दृष्गिोचर होता है।

द्वितीय परीकल्पना –

इस तथ्य का परिक्षण करना कि ग्रामीण क्षेत्रों में बरोजगारी कम हुई है और ग्रामीण अर्थवयवस्था को बल मिला है।

तीृतीय परिकल्पना –

इस तथ्य का परीक्षण करना कि इस योजना से ग्रामीण कुशल व अकुशल श्रमिको का शहरों की और पलायन रूका है

चतुर्थ परिकल्पना –

इस तथ्य का परीक्षण करना कि महात्मा गांधी ग्रामीण रोंजगार योजना से ग्रामीण ढांचागत सुविधाओं का विकास हुआ है जिससे रोजगार के अवसर बढे है ।

शोध अध्ययन की प्रवधि ––

एक शाधेकर्ता अपने शाधे आकंड़ो को शाधे का आधार मानकर कार्य करता है। बिना आकडो के शाधे कार्य वास्तव में एक अपगं प्राणी की भाति है। शाधेकर्ता का मुख्य लक्ष्य ऐसे तथ्य सामग्री का सकलन करना होता है, जो उसकी परिकल्पनाओं का या तो समर्थन करती हो या पहले से बनाई गई उपकल्पना को अस्वीकार करती हों शाधे पद्धति की

सहायता से आकंड़ो का सकंलन किया जाता है, ताकि उसके माध्यम से किसी शाधे के परिणामों की सार्थकता निर्धारित की जा सकें

प्रस्तावित शोध की अध्ययन पद्वति –

प्रस्तावित शोध अध्ययन पद्वति को अध्ययन के सुविधा हेतु निम्नांकित भागों में विभक्त किया गया है :–

1.अध्ययन क्षेत्र का चुनाव –

अध्ययन क्षेत्र – महात्मा गांधी रोजगार गारंटी कार्यक्रम के माध्यम से गांवो में कितना रोजगार का सृजन हुआ है तथा इसके माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था में कितना बदलाव आया है, ग्रामीण विकास की रूपरेखा कितनी सुनिश्चित हुई है व इस कार्यक्रम ने ग्रामीण अर्थवयवस्था क्या मजबुती प्रदान की है। इस अध्ययन को करने के उद्‌देश्य से शोधकर्ता ने राजस्थान के दो जिलो को अपने अध्ययन क्षेत्र का चयन किया है। प्रथम जयपुर जिले की 5 तहसील यथा जयपुर ,चोमू, सांगानेर, शाहपुरा, फागी द्वितीय जोधपुर जिले की तहसील भोपालगढ, बिलारा जोधपुर, लूनी, फलोड़ी के गाँव का तुलनात्मक अध्ययन किया जायेगा ।

2.अध्ययनगत इकाई – प्रस्तुत अध्ययन मे ंअध्ययनगत इकाई के रूप में जयपुर जिले की 5 तहसील यथा जयपुर, चोमू, सांगानेर, शाहपुरा, फागी तथा जोधपुर जिले की तहसील भोपालगढ, बिलारा जोधपुर, लूनी, फलोड़ी के गाँव का में मनरगो के अंर्तगत कार्यरत मजदुरों लाभार्थीयों को़ मनरेगा योजना से सबंधित अन्य ग्रामीण प्रतिनिधियों को इकाई के रूप में लिया गया है ।

3.उत्तरदाताओं की प्रकृति – उत्तरदाताओं की प्रकृति के अंतर्गत मनरेगा के लाभार्थीयों तथा मनरगो योजना का सचांलन करने हेतु नियकुत्त अधिकारीयों को सम्मिलित किया गया है ।

4. उत्तरदाताओं का चुनाव – प्रस्तावित अध्ययन हेतु अध्ययन क्षेत्र के ग्रामीण मजदूरों तथा मनरेगा योंजना सचांलनकर्ता का चुनाव बहुस्तरीय निर्देशन के द्वारा किया गया है। जिसके अतंर्गत दोनो जिले के पॉच तहसील में से हर विकास खण्ड में से 50 व्यक्तियों का चुनाव दैव निर्दशन के द्वारा किया जाएगा । अर्थात कुंल 500 व्यक्तियों का चयन किया जाएगा।

5. तथ्य सकंकंलन की पद्वति, प्रवधि एवं उपकरण :– प्रस्तावित शोध कार्य हेतु तथ्यों का सकंलन दो प्रकार से किया जाएगा –

1.प्राथमिक संमक –

2.द्वितीय समंक –

प्र्राथमिक समंक –

यह स्वय ं शाधेकर्ता द्वारा उद्दश्ेय की पूर्ति हेतु एकत्रित किये जाते है। यह किसी शाधे के मुख्य आधार होते है। उत्तरदाताओं की प्रकृति के आधार पर प्राथमिक समको का सकंलन करने हेतु साक्षात्कार अनुसची तथा प्रश्नावली का प्रयागे किया जायेगा साथ ही साथ शाधे कार्य के दौरान अध्ययन क्षेत्र में कार्यरत मजदूरों से समहुवार्ता व अवलाकेन पद्वति के द्वारा प्राथमिक समकों का सकलन किया जाएगा ।

द्वितीयक समंक –

ये वे समकं होते है जिनका सकलन पहले किसी अन्य व्यक्ति या संस्था द्वारा किया जा चुका है और अनुसधांनकर्ता उन्हें अपने प्रयागे में लाता है। अनुसधांन करते समय यह निश्चित करना पड़ता है कि मौलिक सामग्री एकत्रित करनी है या प्रकाशित या उपलब्ध सामग्री से ही कार्य अग्रेषित किया जाएगा। इसके अंतर्गत अध्ययन क्षेत्र में गरीबी उन्मुलन तथा मनरगो से सबंधित विभिन्न शासकीय प्रपत्र व दस्तावजे , विभिन्न शाधे पत्र–पत्रिकाओं, समाचार–पत्रों में समय–समय पर प्रकाशित तथ्य शामिल है ।

प्रस्तावित शोध कार्य की अध्यायीकरण योजना

ग्रामीण अर्थव्यवस्था में मनरेगा की भूमिका : जयपुर व जोधपुर के विशेष संदर्भ में एक मूल्यांकन

अध्याय – 1. परिचयात्मक पृष्टभूमि

अध्याय – 2. ग्रामीण विकास की विभिन्न योजना

अध्याय – 3. गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम

अध्याय – 4.महात्मा गांधी रोजगार योजना का विश्लेषाणात्मक अध्ययन

अध्याय – 5. महात्मा गांधी रोजगार योजना का ग्रामीण अर्थवयवस्था पर प्रभाव

अध्याय – 6.मूंल्यातमंक निष्कर्ष

संदर्भ सूची

1 बी.एल. ओझा भारतीय अर्थव्यवस्था पृष्ट संख्या 158

2 ड़ा. जे.पी मीश्रा फॉर नेट पृष्ट 512

3 योजना 542 योजना भवन नई दिल्ली–1जुलाई 1972 पृष्ट सं 2

4 आर्थिक जगत पाक्षिक पत्रिका 23 ए नेताजी सुभाष रोड़ कलकता 29 12 अप्रैल 1971 पृष्ट संख्या 695

5 सिंह, संतोष कुमार, ग्रामीण विकास मंत्रालय, नई दिल्ली, कुरूक्षेत्र जनवरी (2010) पृष्ट संख्या 21

6 प्रतियोगिता दपर्ण, 2/11 स्वदेशा बीना नगर आगरा–2,अगस्त (2009)

7 यादव, चन्दभान, ग्रामीण विकास मंत्रालय, नई दिल्ली कुरूक्षेत्र, अक्टूबर (2010) पृष्ट संख्या–17

8 MNREGA SAMEEKSHA(2006-2012) an Anthology of Research Studies on the Mahatma Gandhi National Rural Employment Gurantee Act, 2005

9 तिवारी, अतुल के, उद्योग व्यापार पत्रिका, इण्डिया ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन,प्रगति भवन, प्रगति मैदान नई दिल्ली, अक्टूबर (2010) पृ–41

10 A Hand Book of Karnataka (2005) Govt. of Karnataka, Karnataka Gazetteer Department, Cauvery Bhavan, Banglore-9

11 Ambasta, P; Vijay Shankar, P.S. And Shah Mihir (2008), "Two Year Of NREGA : The Road Ahead " Economic & Political Weekly, February 23-29, Vol XIIII, No. 8, PP,41-50…..

12 Anand V 2008. Cited In Panchayati Raj Update By Mohanty B" Mahatma Gandhi Rural Employment GuaranteeAct:AWomanProgramme from Http,know.Pdf retrieved on On 19/02/2011)….

13 Badodiya, S.K. Khushwah, R.S. And Shakya, S.K. (2011). Impact Of Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act (Mnrega On Ppverty Alleviation . Raj.J. Extn. Edu. 19: 206-209

14 CAG (2007) " Draft Performance Audit, Of Implementation Of Nrega Office Of The Principal Director Of Audit,, Economic And Service Ministers,, New Dehli

15 Chakravarthy Anupam , Tiwari (July 2010). " After Modi Sniffs Corruption In NREGA, Delhi Flags State Dossier" Indian Express Ahemedabad , July 27,2010,PP1,2…

16 CSE (2008) " Mnrega Oppportunities And Challenges " By Natural Resource Management And Livelihood Unit , Center For Science And Environment (Cse),

New Delhi..

17 Dreze J 2006 "National Emplotment Guarantee Inaction " TheHindu,12septmber..Fromwww.Hindu.Com /2006/09/12/Stories,,,(Retrieved On 12/03/2011

18 Grag S 2008 Economic Impat Of (NREGA) Programme On Woman M.Sc Thesis ,Unpublished . Maharana Pratap University Of Agriculture And Technology, Udaipur..

19 Honnakeri , P.M. and kote , A.K. (2012) . The Impact Of MNREGA Scheme On Rural-Urban Migration In Rural Economy With Special Reference To Gullbarga District In Karnataka State. Indian Streams Research Journal , Vol.2 Issue.I ,Pp.1-4..

20 Jaswal Anshuman And Ministry Paulomee(2003) .."Will Nrega Ensure Security Against Hunger ? Disha Ahmedabad…

21 Joshi Varsha , Surjit Singh , Joshi K.N. (Spet. 2008)"Evaluation Of Nrega In Rajasthan " , Ids Jaipur..

22 Kannapiram, C. 1992 Financial Impact Of Irdp On

Rural Poverty In India . Journal Of Rural Development. 11: 789-801..

23 Prasad , M.R. IAMR(2008) "All India Report On Evaluation Of NREGA : A Survey Of Twenty District " IMAR , Narela ,New Delhi

24 Reetika Khera, Nayak Nandini (2009) "Woman Workers Perceptions Of The Nrega " Economic & Political Weekly , October 24-30, 2009 Vol. Xliv No 43, Pp 49..0

25 Rengasamy , K And Sasi Kumar (2011) . State Level Performance Of Mnrega In India : A Comparative Study International Multidisciplinary Research Journal, 1(10): 36-40.

26 Evaluation of NREGA in Rajasthan sep. 208 Versa Joshi Surjeet singh K.N joshi and other. Institute of Development Studies , Rajasthan

27 Conditions of Women in India, May 2008, Indian School of Women's Studies

28 Process Review and Inpact Assesemt of NREGES in the state of UttaraKand 2009 indian Institute of Technology Studies Rajasthan

29 Siddhanta Priyadarshan 2010 Nrega Falls Way Short

Of Targets Indian Expess, Ahemdabad Edition July 21-201

30 Vanik Anish And Siddhartha (2008) "Bank Payment : End Of Corruption In Nrega " Economic Weekly , 26-2 May ,2009 Vol Xl Iii No. 17, Pp 33-39.